सार-समाचार

गरीब परिवार की बेटी की शादी में मदद का हाथ बढ़ाया

कोटा, (निसं)। रजा नगर, बोरखेड़ा, कोटा निवासी एक जरूरतमंद और गरीब परिवार को उस समय बड़ी राहत मिली जब खिदमत-ए-इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी कोटा उनकी बेटी की शादी के लिए फरिश्ता बनकर सामने आई। परिवार ने अपनी बेटी की शादी की बात पक्की कर ली थी, लेकिन समय पर पैसा न आ पाने के कारण वे अत्यधिक परेशान थे और उन्हें शादी की तैयारियों को लेकर चिंता सता रही थी। परिवार ने कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। जब खिदमत-ए-इंसानियत वेलफेयर सोसाईटी कोटा के जिम्मेदार लोगों को इस गरीब और जरूरतमंद परिवार की जानकारी मिली, तो सोसाइटी की टीम तुरंत उनके घर पहुंची और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सोसाइटी ने मानवता का परिचय देते हुए इस नेक काम में अपनी भूमिका निभाई। खिदमत-ए-इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी कोटा की ओर से न केवल उनकी बेटी की शादी के खाने का पूरा इंतजाम करवाया गया, बल्कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई। सोसाईटी की इस समय पर की गई मदद से परिवार की बड़ी चिंता दूर हो गई। जरूरतमंद परिवार ने खिदमत-ए-इंसानियत वेलफेयर सोसाईटी के सभी जिम्मेदार सदस्यों और साथियों को ढेर सारी दुआएं दीं और उनका आभार व्यक्त किया। सोसाईटी के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना है और वे भविष्य में भी इसी तरह समाज सेवा के कार्य करते रहेंगे।

पंजाब नैशनल बैंक में रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

कोटा, (निसं)। पंजाब नैशनल बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर बुधवार को बैंक की नगर निगम शाखा में रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल सतर्कता और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना था, बल्कि समाजसेवा के माध्यम से मानवता की भावना को भी प्रोत्साहित करना रहा। अपना ब्लड सेंटर, कोटा के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में बैंक तथा नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों की सहायता हेतु स्थानीय रक्त बैंक को प्रदान किया गया। डॉ. मनोज कुमार गुप्ता द्वारा प्रतिभागियों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख आशुतोष दुबे ने कहा कि सतर्कता जागरूकता हेतु इस वर्ष की थीम सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी है। सतर्कता केवल भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नारा नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक सकारात्मक शैली है। पंजाब नैशनल बैंक सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति समर्पित रहा है, और इस प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता और सेवा की भावना को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए तथा सतर्कता की शपथ दिलाई गई।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की प्रेरणा से रामगंजमंडी को सर्व सुविधायुक्त आधुनिक एंबुलेंस सुविधा मिली

■ लोकसभा अध्यक्ष बिरला और मंत्री मदन दिलावर ने एंबुलेंस की चाबी सौंपी

रामगंजमण्डी, (निसं)। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की प्रेरणा से रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक नई सुविधा के रूप में पदमाराम कुलरिया चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनहितार्थ एंबुलेंस भेंट की गई। इस आधुनकि एंबुलेंस में सभी आवश्यक आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

इस एंबुलेंस में मरीज को सुरक्षित और त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर फर्स्ट एड किट और आवश्यक दवाइयाँ ब्लड प्रेशर मशीन थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप,हार्ट मॉनिटर एवं डिफिब्रिलेटर आदि की सुविधाएं है।। एंबुलेंस का संचालन कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, रामगंजमंडी द्वारा किया जाएगा। एसोसिएशन जरूरतमंदों को आपात स्थिति में त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराएगी। रामगंजमंडी में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने संयुक्त रूप से एंबुलेंस की चाबी एसोसिएशन अध्यक्ष नरेन्द्र काला एवं पदाधिकारियों को सौंपी।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा यह पहल समाजसेवा की दिशा में एक अनुकरणीय उदाहरण है, जिससे आमजन को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष और मंत्री ने ट्रस्ट सदस्यों व एसोसिएशन को इस जनहित कार्य के लिए शुभकामनाएँ दी और जनता से ऐसे सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की अपील की। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव अखलेश मेडतवाल, उपाध्यक्ष दिनेश डपकरा, कोषाध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल, उपाध्यक्ष राकेश जैन, सह सचिव निलेश जैन, भाजपा अध्यक्ष शैलेश काला, कमलेश गोईन व कालू नाकोडा सहित नगर के गणमान्य नागरिक, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हमले के दोषीयों को सात साल की सजा

कोटा, (निसं)। जानलेवा हमले के दस साल पुराने मामले में एडीजे क्रम-4 न्यायालय ने पकडे गये चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई जानकारी के अनुसार 23 जून 2015 को फरियादी सत्येन्द्र सिंह हाड़ा ने विज्ञान नगर थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि वह और उसकी मां बड़ा भाई व पिता घर पर खाना खा रहे थे तभी आठ-दस जने तलवार सरिया व लट्ठ लेकर आये और मकान में घुसकर अचानक से मारपीट कर जानलेवा हमला कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि सूरज झा किरन झा के हाथ में तलवार एवं रूद्रानंद झा व नवीन श्रीवास्तव के हाथ में छुरा था अन्य के हाथों में भी हथियार थे।

'भवानीमंडी में अधिकारी व शिक्षक पूर्ण गणवेश में कार्य करेंगे'

भवानीमंडी, (निसं)। शिक्षा विभाग में अनुशासन और एकरूपता की मिसाल पेश करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवानीमंडी के नेतृत्व में एक अभिनव पहल की गई है। इस पहल के तहत भवानीमंडी ब्लॉक के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा अधिकारी-कर्मचारी अब निर्धारित गणवेश (ड्रेस कोड) में अपने-अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित रहेंगे।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं नियमित रूप से अपने विद्यालयों में गणवेश में अध्यापन कार्य करेंगे। वहीं कार्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहेंगे। यह नवाचार भवानीमंडी ब्लॉक को राजस्थान का पहला ऐसा ब्लॉक बना रही है जहाँ शिक्षा विभाग के संपूर्ण कर्मचारी चाहे शिक्षक हों या प्रशासनिक अधिकारी सभी एक समान ड्रेस कोड का पालन करेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवीन चंद मीणा व अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम कल्याणमल मेघवाल ने बताया कि यह कदम अनुशासन, एकरूपता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि शिक्षा विभाग में एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भी विभाग की सशक्त और अनुशासित छवि स्थापित हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में राज्य सरकार के जो भी नए दिशा-निर्देश होंगे उनका पालन पूर्ण निष्ठा और तत्परता के साथ किया जाएगा। हालांकि राजस्थान में यह पहल पहली बार झालावाड़ जिले के भवानीमंडी ब्लॉक में की गई है।

मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। खातौली थाना पुलिस टीम ने मोटरसाईकिल चोरी के दर्ज प्रकरण में कार्यवाही करते हुए मोटरसाईकिल चोर को गिरफ्तार किया।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 28 अक्टुबर को फरियादी ने खातौली थाने में रिपोर्ट दी।

रिपोर्ट में कहा कि उसकी मोटरसाईकिल को कोई अज्ञात चोरी करके ले गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया।

मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उप अधीक्षक शिवम जोशी के सुपरविजन में खातौली थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी मनसीराम के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

ग्रामीण एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तकनिकी आसूचना संकलन, सीसीटीवी फुटैज एवं मुखबीर की सूचना पर खातौली इलाके में नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए मोटरसाईकिल चोरी के दर्ज प्रकरण में मोरखुन्दा निवासी नरेन्द्र (26) को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2182 जाहिर आम सूचना दिनांक - 29.10.25

आवास सख्या 1-ढ-36 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री श्याम बिहारी शर्मा पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री लाल चन्द जैन के नाम दिनांक 29.03.1996 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री लाल चन्द जैन द्वारा दिनांक 31.03.1996 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री लाल चन्द जैन द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 03.12.2018 को श्री विपिन मित्तल पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मित्तल को किया गया। श्री विपिन मित्तल पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मित्तल का नाम दिनांक 30.08.2021 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री विपिन मित्तल पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मित्तल द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 04.04.2023 को श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राम कुँवार खटीक को किया गया। श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राम कुँवार खटीक द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ढ-36 विज्ञान नगर, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राम कुँवार खटीक का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राम कुँवार खटीक का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री राम कुँवार खटीक के नाम दर्ज कर दिया जावेगा। **उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2178 जाहिर आम सूचना दिनांक - 29.10.25

आवास संख्या 2-क-4 केशवपुरा का आवंटन मंडल द्वारा श्री शान्त कुमार दास पुत्र श्री सुन्दर दास को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री सुनील कुमार पुत्र श्री शीतल दास के नाम दिनांक 27.02.1996 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री सुनील कुमार पुत्र श्री शीतल दास के नाम दिनांक 30.09.2000 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्री सुनील कुमार पुत्र श्री शीतल दास द्वारा इस आवास के आधा हिस्से से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 12.07.2011 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री नरेश कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द जैन मुख्तार आम श्री सुनील कुमार पुत्र श्री शीतल दास द्वारा मुख्तार आम की हैसियत से उक्त आवास के आधा हिस्से का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.02.2013 को श्रीमती उषा गोयल पत्नी श्री नन्दलाल गोयल को किया गया। श्रीमती उषा गोयल पत्नी श्री नन्दलाल गोयल द्वारा उक्त आवास के आधा हिस्से का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.06.2015 को श्री चन्द्र शेखर गोस्वामी पुत्र श्री राम गोपाल गोस्वामी को किया गया। श्री सुनील कुमार पुत्र श्री शीतल दास द्वारा उक्त आवास में दूसरा शेष आधा हिस्से का उपहार जरिये उपहार पत्र आलेखित कर दिनांक 09.02.2012 को श्री संजय कुन्दनानी पुत्र श्री शीतल दास को किया गया। श्री संजय कुन्दनानी पुत्र श्री शीतल दास द्वारा उक्त आवास के आधा हिस्से का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.09.2025 को श्री चन्द्र शेखर गोस्वामी पुत्र श्री राम गोपाल गोस्वामी को किया गया। श्री चन्द्र शेखर गोस्वामी पुत्र श्री राम गोपाल गोस्वामी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास संख्या 2-क-4 केशवपुरा कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री चन्द्र शेखर गोस्वामी पुत्र श्री राम गोपाल गोस्वामी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री चन्द्र शेखर गोस्वामी पुत्र श्री राम गोपाल गोस्वामी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री चन्द्र शेखर गोस्वामी पुत्र श्री राम गोपाल गोस्वामी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1318 **विज्ञप्ति** दिनांक:-29.10.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना पार्श्वनाथ एनक्लेव विस्तार खसरा नं. 154, 155, 160 से 163 में स्थित भूखंड संख्या ए-75 आवेदक/आवेदिका श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल निवासी म.नं. 11, 28-बी के सामने सोफिया स्कूल रोड बल्लभ नगर गुमानपुरा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 904 दिनांक 28.08.2013 को श्री बंशीलाल राठौर पुत्र श्री भंवर लाल राठौर के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2016 को ललिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द अग्रवाल को किया गया। जिसका ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण UIT-KOTA/FY17-18/MUT/311 दिनांक 06.04.2018 से जारी किया गया। ललिता देवी अग्रवाल की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 02.03.2024 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पत्नी रमेश चन्द अग्रवाल, पुत्र अनिल अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, पुत्री स्नेहलता गुप्ता है। वारिसान रमेश चन्द्र अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, स्नेहलता गुप्ता द्वारा जर्ये रजि. रिलीज डीड दिनांक 11.06.2026 को आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

आयुक्त को ज्ञापन सौंपा

कोटा, (निसं)। माँ वैष्णों व्यापार संघ बालाकुण्ड चौराहा, केशवपुरा तीन बत्ती मेन रोड़ कोटा के तत्वावधान में व्यापार संघ अध्यक्ष शमशेर परमानी के नेतृत्व में कोटा विकास प्राधिकरण आयुक्त ममता कुमारी तिवारी को व्यापारियों की समस्या के समाधान बाबत् ज्ञापन सौंपा। अवगत कराया गया कि बालाकुण्ड चौराहा, केशवपुरा से तीन बत्ती मेन रोड़ केशवपुरा-6 स्थित भूखण्डों का आवंटन तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 1987 में किया गया था।

'एक दूजे से मिलेंगे, दोनों पालनहार'

रामगंजमण्डी, (निसं)। शहर में भी तीन बार से हर साल वैकुंठ चर्तुदशी पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता है जब भगवान शिव जिन्हें बाबा महाकाल के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान विष्णु से मिलने के लिए निकलते हैं।

इस अवसर पर बाबा महाकाल अपनी दिव्य पालकी में सवार होकर राधा-कृष्ण मंदिर आते हैं और चार महीने से संभाले हुए सृष्टि के भार को भगवान नारायण को सौंपते हैं। यह आयोजन देवउठनी एकादशी के बाद होता है। जब भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं।

इस मिलन में पूजा-अर्चना, आरती और विशेष भव्य सजावट के बीच भक्तों का भारी जमावड़ा लगता है। इसी परम्परा अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पर 3 नवम्बर सोमवार रात्रि को हरि हर मिलन का आयोजन होने जा रहा है।

तीसरी बार हो रहे इस हरिहर मिलन का आयोजन रात्रि 11 बजे राजस्थान ऑयल मिल से शुरू होगा। जिसमें भव्य आतिशबाजी होगी और आकर्षक रंगोलियां भी जगह जगह बनाई जाएगी।

बाबा महाकाल की पालकी में सवार होकर रात्रि 11बजे शिव मानस मंदिर राजस्थान मिल से राधाकृष्ण मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। जहाँ पहुंचकर एक दूजे से मिलेंगे, दोनों पालनहार।

विधिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा शाहिदा परवीन पत्नी मो. जकिउद्दीन कुरैशी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की एक दुकान ग्राउण्ड फ्लोर वाके प्लाट नं. 7 न्यू मोटर मार्केट कोटा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है यह कि उक्त दुकान शाहिदा परवीन को उनके पति मो. जकिउद्दीन कुरैशी से जर्ये रजि. दान पत्र दिनांक 24.10.2025 से प्राप्त हुई थी व मो. जकिउद्दीन कुरैशी उक्त दुकान उनके पिता सलाउद्दीन कुरैशी से जर्ये वसीयतनामा 29.11.2016 से प्राप्त हुई थी, जिसका पंजीयन उपपंजीयक कोटा में दिनांक 11.09.2024 को हो रहा है।

यह कि उक्त दुकान को मेरी पक्षकारा द्वारा बन्धन बैंक लिमिटेड में रहन रखकर ऋण लिया जा रहा है यह कि उक्त सम्पत्ति को रहन रखकर ऋण देने के संबंध में किसी आम व्यक्ति, बैंक, संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

अजय शर्मा एडवोकेट
पता-मकान नं. 1031, 1032, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा (राज.)
मो. 7073030526

न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा राजस्थान

प्रकरण संख्या - 115/2025 ई.डी.

गणेश लाल प्रेमी पुत्र श्री पांचूलाल जी, आयु 77 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी 6-ए-18, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा (राज.) हाल निवास म.नं. 3/337, स्वामी विवेकानन्द नगर, चावला सर्किल के पास, कोटा (राज.) ...... प्रार्थीया

बनाम

(1) मनोज कुमार प्रेमी पुत्र श्री गणेश लाल प्रेमी, निवासी म.नं. 3/337, स्वामी विवेकानन्द नगर, चावला सर्किल के पास, कोटा (राज.) मो. 7976389367 (2) निर्मल कुमार प्रेमी पुत्र श्री गणेश लाल प्रेमी, निवासी मकान नं. 19, ग्रीन एवेन्यू, रायपुरा, कोटा (राज.) मो. नं. 8949461270 (3) उमा देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार बैरवा पुत्री श्री गणेश लाल प्रेमी, निवासी रेल्वे कॉलोनी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) मो. नं. 8209914726 (4) राजेश कुमार प्रेमी पुत्र श्री गणेश लाल प्रेमी, निवासी म.नं. 6-ए-18, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा (राज.) मो. नं. 7014574288 (5) प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा विज्ञान नगर, कोटा (राज.) (6) जन साधारण ...... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की पत्नी एवं प्रतिपक्षी नं. 1 लगायत 4 की माता श्रीमती बसन्ती देवी थी तथा प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती बसन्ती देवी के नाम से प्रतिपक्षी नं. 5 के यहाँ पर एक बचत खाता खुलवा रखा था, जिसका खाता संख्या 13420100004683 है एवं उक्त खाते में भिन्न-भिन्न समय पर मेरे द्वारा एवं मेरी पत्नी के द्वारा बचत की गई राशि जमा करवाई जो कि लगभग 3,00,000/- रुपये है। प्रार्थी की पत्नी एवं प्रतिपक्षी नं. 1 लगायत 4 की माता श्रीमती बसन्ती देवी की मृत्यु दिनांक 12.05.2021 को हो गई थी और श्रीमती बसन्ती देवी निर्वसीयती स्वर्गवासी हुई थी, श्रीमती बसन्ती देवी ने प्रतिपक्षी नं. 5 के यहाँ खुलवाये गये खाते के बाबत् कोई नोमिनी भी नियुक्त नहीं किया गया था। श्रीमती बसन्ती देवी के उपरोक्त खाते में जमा राशि के भुगतान के सम्बन्ध में एकमात्र खाताधारक एवं स्वामिनी घोषित किये जाकर प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान करें। उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी दिगर व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित मय अधिवक्ता अथवा व्यक्तिगत रुप से दिनांक 07.11.2025 को पेश हो। अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। उक्त सूचना पत्र आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

मुद्रा

न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय
कोटा (राज.)

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सूचना-कोटा मण्डल सिविल इंजिनियरिंग (जीएसयू)
No.-GSU-KOTA-NIT Dt. 27.10.2025

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मुख्य परियोजना प्रबंधक (जीएसयू) पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा निम्नलिखित कार्यो के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा सूचना क्रमांक**-GSU-KOTA-08-2025, **कार्य का विवरण**-नेम ऑफ वर्क-नागदा मथुरा सेक्शन-कन्स्ट्रक्शन ऑफ 04 नम्बर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) इन ल्यु ऑफ एलसी नं. 21, 148, 173 एण्ड 200 इन नागदा-मथुरा सेक्शन ऑफ कोटा डिविजन वेस्ट सेंट्रल रेल्वे। **अनुमानित लागत**-1,30,69,97,079.69, **बयाना राशि**-66,85,000.00, **टेण्डर भरने की अन्तिम तिथि एवं समय**-15.00 Hrs. On date 21.11.2025, पूर्ण विवरण वेबसाइट https://ireps.gov.in पर अपलोड की गई ई-निविदा में तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक (जीएसयू) पश्चिम मध्य रेलवे, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर कोटा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

(हस्ता.)
मण्डल इंजीनियर (जीएसयू)
पश्चिम मध्य रेल्वे कोटा

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

पोस्टर का विमोचन किया

कोटा, (निसं)। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर में एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए ' यूनिटी मार्च ' के नाम से देशभर में बहुआयामी व्यापक कार्यक्रम होंगे। इसक्रम में बुधवार को अपराहन में पत्रकारवार्ता आयोजित हुई जिसमें राजस्थान सरकार के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, कोटा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन, देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, कोटा संभाग मीडिया संयोजक अरविन्द सिसोदिया, यूनिटी मार्च कोटा शहर जिला संयोजक राकेश मिश्रा, देहात जिला संयोजक ललित शर्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना जिला समन्वयक रीना कुमारी, जिला युवा अधिकारी सचिन पाटोदिया मंचस्थ रहे।

मंचस्थ जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर यूनिटी मार्च के पोस्टर का विमोचन किया। शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर नें कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से अन्याय नहीं हुआ होता तो वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। उन्होने कहा कि देश की आजादी के बाद 600 से ज्यादा रियासतों का विलय भारत में पटेल की ही देन थी।

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर

क्रमांक:-ननिको.(उ.)/भ.नि.अनु./जोन-द्वितीय/2025/15021-22 दिनांक:-29.10.25

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सद्दाम अली पुत्र श्री अब्दुल सत्तार निवासी-तलाईपाडा मदरसे के पास, कैथून, जिला कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड शाहपुरा तलाईवाडा, कैथून का क्षेत्रफल 1296.75 वर्गफीट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।

आवास/भूखण्ड शाहपुरा तलाईवाडा, कैथून स्थित भूखण्ड का आवंटन कार्यालय नगर पालिका, कैथून द्वारा पट्टा क्रमांक 2022/648 दिनांक 05.07.2022 जिसका क्षेत्रफल 1296.75 वर्गफीट श्री हेमराज एवं श्री सत्यनारायण पुत्र श्री मदनलाल के पक्ष में जारी किया गया था। श्री सत्यनारायण पुत्र श्री मदनलाल की मृत्यु दिनांक 21.07.2023 को हो चुकी है। श्री सत्यनारायण पुत्र श्री मदनलाल मृत्यु उपरान्त श्री हेमराज पुत्र श्री मदनलाल व उनके विधिक वारीसान 1. श्रीमती विमला बाई पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण 2. श्रीमती निकिता पुत्री स्व. श्री सत्यनारायण पत्नी श्री जयप्रकाश पारेता 3. श्री लोकेश पारेता पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण 4. सु.श्री आशिता पारेता पुत्री स्व. श्री सत्यनारायण द्वारा रजिस्ट्रर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 10.07.2025 को श्री सद्दाम अली पुत्र श्री अब्दुल सत्तार के पक्ष में विक्रय किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास/भूखण्ड शाहपुरा तलाईवाडा, कैथून द्वारा कुल क्षेत्रफल 1296.75 वर्गफीट का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास/भूखण्ड शाहपुरा तलाईवाडा, कैथून का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित रूप से अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यलय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ती मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा, उत्तर

कार्यालय नगर निगम, कोटा-उत्तर

क्रमांक:-ननिको.(उ.)/भ.नि.अनु./जोन-द्वितीय/2025/15017-18 दिनांक:-28.10.25

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी शिव मन्दिर के पास, कंसुआ कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड 3-बी-10, कंसुआ कोटा का क्षेत्रफल 1233.18 वर्गफीट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तानान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है।

आवास/भूखण्ड 3-बी-10, कंसुआ कोटा स्थित भूखण्ड का आवंटन कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा पट्टा क्रमांक 375 दिनांक 08.06.1978 जिसका क्षेत्रफल 137.02 वर्गगज श्री पाल सिह पुत्र श्री बक्शी सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। श्री पाल सिंह पुत्र श्री बक्शी सिंह की मृत्यु दिनांक 05.06.2019 को ही चुकी है व श्री सुरेन्द्र सिंह की भी मुत्यु 13.12.2018 हो चुकी है। श्री पाल सिंह पुत्र श्री बक्शी सिंह ने दिनांक 22.05.2019 को आवेदिका श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में वसीयत-नामा निष्पादित किया गया। मृत्यु उपरान्त आवेदिका श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिह ही एक मात्र ही विधिक वारीसान इनके अलावा कोई अन्य विधिक वारीसान नही है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवास /भूखण्ड 3-बी-10, कंसुआ कोटा द्वारा कुल क्षेत्रफल 137.02 वर्गगज (1233.18 वर्गफीट) का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास/भूखण्ड बालापुरा कुन्हाडी कोटा का नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य कोई जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ती हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित रूप से अधो-हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ती मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा, उत्तर

आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा

फार्मेट सी-1

वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)

अभ्यर्थी का नाम और पता : नरेश कुमार मीणा, ग्राम नया गांव पोस्ट ननावता तहसील अटरु जिला बारां
राजनैतिक दल का नाम : निर्दलीय
निर्वाचन का नाम : राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2025
निर्वाचन क्षेत्र का नाम : अन्ता (193)

मैं, **नरेश कुमार मीणा** उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ:-

(क)	लंबित आपराधिक मामले			संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
क्र.सं.	न्यायालय का नाम	मामले की सं. एवं तारीख	मामले की स्थिति	
1	NA	FIR No. 294/2025 पुलिस थाना महावीर नगर कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 196 (1) (a), 352 BNS
2	NA	FIR No. 299/2025 पुलिस थाना सदर बून्दी	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 196 (1) (a), 352 BNS
3	NA	FIR No. 202/2025 पुलिस थाना रायशर जयपुर ग्रामीण	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 191 (2) 190, 125 (a), 132 BNS
4	NA	FIR No. 504/2025 पुलिस थाना झालावाड़	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 121 (1) 132, 352, 57, 182 (2) BNS
5	न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश sc / st (अ.नि.) प्रकरण टोंक 31/2025	FIR No. 166/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	न्यायालय में विचाराधीन है	धारा 115(2), 121(1), 132, 223 (ख) 351(2), 109(1), 126 (2), 174 BNS व धारा 126(1)ए 126(2), 131, 132, 135 क (1) (ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989
6	न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश sc / st (अ.नि.) प्रकरण टोंक 26/2025	FIR No. 167/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	न्यायालय में विचाराधीन है	धारा 49, 109(2), 15(2), 121(1), 132, 174, 190, 191(2), 191(3), 195(1), 221, 223 (ख), 285, 324 (5), 326 (छ), 351(2), 121(2), 311 BNS व धारा 3 लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 184 व धारा 8 ख, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
7	NA	FIR No. 169/2024 पुलिस थाना नगर फोर्ट जिला टोंक	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	233(1), 132, 351 (2) BNS व धारा 3 लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951
8	NA	FIR No. 298/2024 पुलिस थाना नयापुरा जिला कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 332, 353, 353, 504, 506 IPC
9	NA	FIR No. 136/2024 पुलिस थाना आरकेपुरम जिला कोटा	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 188 BNS
10	NA	FIR No. 159/2023 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 143, 435, 283, 427 IPC
11	NA	FIR No. 560/2023 पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 147, 148, 149, 332, 353, 283, 117, 506 IPC व 3 sc / st
12	NA	FIR No. 572/2023 पुलिस थाना कोतवाली जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	धारा 153A, 504, 505, 506, 120 B IPC
13	NA	FIR No. 170/2023 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	143, 283, 336, 143, 336 IPC
14	NA	FIR No. 403/2023 पुलिस थाना छबड़ा जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	143, 332, 353, 283 IPC
15	NA	FIR No. 308/2023 पुलिस थाना जीआरपी जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	145, 147 रेल्वे अधिनियम
16	NA	FIR No. 277/2023 पुलिस थाना अटरु जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	147, 148, 149, 506, 268, 188, 189, 285, 504, 505, 283 IPC
17	जिला एवं सेशन न्यायालय बारां 97/2025	FIR No. 158/2023 पुलिस थाना हरनावदा शाहजी जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	332, 353 IPC
18	JM अटरु 215/2021	FIR No. 148/2020 पुलिस थाना कवाई जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	147, 188, 332, 353, 269, 270, 271, 504, 506, IPC व 3 PDP एक्ट 5/6 राजस्थान महामारी अधिनियम 2020
19	NA	FIR No. 160/2023 पुलिस थाना बापचा जिला बारां	प्रकरण में अनुसंधान जारी है	332, 353, 143, 188, 427 IPC
20	ACJM-2 जयपुर मेट्रो-1 18575/2024	FIR No. 337/2023 पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर जिला जयपुर	न्यायालय में विचाराधीन है	171F, 323, 341, 504, 506, 341, 323, 504, 506, 117 F, IPC
21	ACJM-2 जयपुर मेट्रो - 2 3968/2014	FIR No. 533/2011 पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर जिला जयपुर	न्यायालय में विचाराधीन है	336, 109, 120B IPC 3/25, 5/28 आर्मस एक्ट
22	JM अटरु जिला बारां 273/2017	FIR No. 197/2016 पुलिस थाना मोठपुर जिला बारां	न्यायालय में विचाराधीन है	353, IPC

(ख)	आपराधिक मामलों के लिए दोष सिद्ध के मामलों के संबंध में विवरण		
क्र.सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दंड
1	ACJM - 6 जयपुर मेट्रो प्रथम 868 / 2004 31-03-2006	283 IPC, 3PO का लाभ देकर प्रताड़ित कर रिहा (बरी) किया गया	3PO का लाभ देकर प्रताड़ित कर रिहा (बरी) किया गया

राज्य सभा के निर्वाचन या विधानसभा सदस्यों द्वारा विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें।

नरेश कुमार मीणा
प्रत्याशी, अन्ता - 193